

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 29.12.2020 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 19.01.2021 द्वारा श्रीमती गुलशन चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महु खास, करौली की प्रतिनियुक्त राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2019पार्ट दिनांक: 10.02.2022 की पालना में उक्त प्रतिनियुक्त कार्मिक श्रीमती गुलशन चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) की राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 के अनुसार किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है-

| क्र.स. | नाम कार्मिक | पदनाम | प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान | प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि | प्रतिनियुक्ति अभिवृद्धि दिनांक |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | श्रीमती गुलशन चौधरी | व.अ. (विज्ञान) | राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर | 22.01.2021 | 21.01.2022 से 20.01.2023 (द्वितीय वर्ष) |

सत्यमेव जयते

PK
(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13407/स्टेट ऑपन/प्रतिनियु0/2015/

दिनांक: 10.02.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महु खास, करौली।
6. संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)